न्यायालय:- अपर सेशन न्यायाधीश भवानीमंडी जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी - **राजीव दत्तात्रेय**, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 286/2026

चिराग मीणा उर्फ चिंटू मीणा पुत्र छोटूलाल उम्र 21 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी वार्ड नंबर 22, भवानीमंडी पुलिस थाना भवानीमंडी झालावाड (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त(हाल बंदी उपकारागृह भवानीमंडी)

बनाम

राजस्थान राज्य .....अप्रार्थी/अभियोगी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.149/2026 पुलिस थाना भवानीमंडी
अपराध अन्तर्गत धारा 318(4),316(2),61(2),111(4) BNS 2023 एवं धारा 66(D)सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008
गिरफ्तारी की दिनांक 27.07.2026

उपस्थित:-
श्री हरीश खंडेलवाल, श्री नितिश नागर, श्रीमती नीलम जैन योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
श्री हेमराज शर्मा योग्य अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

:::आदेश::: दिनांक 03.08.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना भवानीमंडी पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 149/2026 के संदर्भ में उसकी ओर से धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवानीमंडी के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2026 को अस्वीकार कर खारिज किए जाने से व्यथित होकर पेश किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलायी जा चुकी है। केस डायरी पेश हुई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 09.04.2026 को परिवादी अखेराम हाल ए.एस.आई., पुलिस थाना भवानीमण्डी ने एक टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश क्रमांक 259-267 दिनांक 30.03.2026 की पालना में विशेष अभियान म्यूल हंटर के तहत् उसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए तदुपरांत उसे एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि

पुलिस थाना भवानीमण्डी के क्षैत्र में ललित राणा का स्वयं के बैंक खाते को म्यूल बैंक खातों के रूपए में उपयोग कर उन म्युल बैंक खातों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साईबर धोखाधड़ी करते हैं। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि ललित राणा के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भवानीमण्डी के खाता संख्या 44501186704 के साईबर फ्रॉड में उपयोग हुआ है। जिस पर उसके द्वारा एम.एच.ए. के अधीन आई. फोर.सी. के समन्वय पोर्टल पर उक्त बैंक खातों की डिटेल सर्च की गई, तो ललित राणा के बैंक खाता संख्या 44501186704 के खिलाफ अलग-अलग जगह से कुल 03 शिकायत दर्ज होना पाया, इस प्रकार उक्त आरोपी आमजन के साथ म्युल बैंक खातो के माध्यम से साईबर फ्रॉड कर लाभ प्राप्त करते हैं और उक्त बैंक खाता को साईबर फ्रॉड के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। प्राप्त किए गए रिकार्ड व तस्दीक से ललित राणा के खिलाफ जुर्म धारा 318(4), 316(2), 61(2) बी. एन. एस व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट का जुर्म पूर्णतः प्रमाणित है, इत्यादि।

3. उक्त लिखित प्रार्थना पत्र पर पुलिस थाना भवानीमंडी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 149/2026 पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/ अभियुक्त की धारा 318(4),316(2),61(2), 111(4) BNS 2023 एवं धारा 66(D)सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 अपराध में संलिप्तता पाये जाने से अभियुक्त को दिनांक 27.07.2026 को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश किया जहाँ उसकी ओर से धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। लिपिकीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रकरण में सहअभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विभिन्न दिनांक को अस्वीकार कर खारिज किए जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में दिनांक 27.07.2026 से अभिरक्षा में चला आ रहा है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम भी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त इसी जिले का स्थायी निवासी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तत्पर है। प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत का लाभ दिया

जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त विरूद्ध म्यूल खातों का उपयोग कर आमजन को नुकसान पहुंचाने बाबत गंभीर प्रकृति का आरोप है ऐसे में आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

8. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि हालांकि मामला प्रथम वर्ग् मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। परन्तु केस डायरी के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त चिराग मीणा के विरूद्ध अपना SBI बैंक शाखा भवानीमंडी का खाता संख्या 44620997002 की साईनशुदा चैकबुक, A.T.M. कार्ड, सिम 20,000/- रूपये कमीशन लेकर सहअभियुक्त् राजेश कुमार को दिए जाने का अभियोग है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त चिराग मीणा उर्फ चिंटू मीणा का अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर साईबर फ्रॉड के षडयंत्र में शामिल होना, प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। केस डायरी पर सहअभियुक्तगण से विभिन्न व्यक्तियों के नाम के बैंक खातों की पास बुक, चेक बुक व ATM जब्त किया जाना बताया गया है। प्रकरण में नकद राशि भी जब्त की गयी है। लिपिकीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रकरण में सहअभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत विभिन्न जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अस्वीकार कर खारिज किए जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न नहीं है। वर्तमान में साईबर फ्रॉड की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिसमें भोले भाले व्यक्तियों का परिश्रम से कमाया गया धन साईबर फ्रॉड करने वाले अपराधी किराये के खातों में प्राप्त कर अनुसंधान एजेंसी की पकड में नहीं आ पाते हैं। अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान से धारा 318 (4), 316 (2), 61 (2), 111(4) बी.एन.एस 2023, धारा 66(D) सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 का मामला बनना पाया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा S.B.Criminal Mis. Bail application no.13513/2020 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 की पालना में केस डायरी में संलग्न सूची के अनुसार अभियुक्त चिराग मीणा उर्फ चिंटू मीणा का पूर्व आपराधिक रिकार्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम सं.	एफ आई आर नं	पुलिस थाना	अपराध धारा	सी एस नं.	वर्तमान स्थिति
निल	निल	निल	निल	निल	निल

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार

किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **चिराग मीणा उर्फ चिंटू मीणा** की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। केस डायरी लौटायी जावे।

(राजीव दत्तात्रेय)
अपर सेशन न्यायाधीश,भवानीमंडी
जिला झालावाड़

10. आदेश आज दिनांक 03.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(राजीव दत्तात्रेय)
अपर सेशन न्यायाधीश,भवानीमंडी
जिला झालावाड़

:::प्रमाण पत्र:::

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(राजेन्द्र सिंह कितावत)
आशुलिपिक ग्रेड प्रथम

नोट:-यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.04 09:59:07 IST